

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर साँगोद.....

(शिविर स्थान..... लोड अदालत.....)

५५ आदेश

दिनांक.....

12/3/2022

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी..... बोरानाकला.....

...व भू.अ.नि. वियानपट्टा.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार..... साँगोद.....

नायब तहसीलदार.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... बोरानाकला.....तहसील..... साँगोद.....व

जिला..... कोटा.....की जमाबन्दी सम्वत्..... 2076-77.....में खाता संख्या..... 99,98,162,152.....

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>बोरानाकला</u>	<u>99,98,162</u> <u>152</u>	<u>अशुद्ध</u> <u>वाप</u>	<u>शुद्ध वाप</u>

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी

साँगोद जिला कोटा

क्रमांक :- 52/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... साँगोद.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री..... बोरानाकला.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

दिनांक :- 12/3/2022

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

साँगोद जिला कोटा

2022/43